फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ

मदन मोहन बनाम **नरोतम**

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट. नम्बर 8 सन–2019

तरीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल जज	नम्बर व तारिख
18.01.2019	वकील सायल ने यह प्रार्थना –पत्र सायल की ओर से पेश किया प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर जावे। वकील सायल को स्थगन पर सुना गया प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन किया गया प्रथम दृष्टया प्रकरण, सूविधा का सन्तुलन , अपूर्णीय क्षति सायल के पक्ष में प्रतीत होता है अतः प्रस्तुंत दस्तावेज एवं शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए गैरसायल को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि वह रोही मौजा कस्बा नोहर के खसरा न0 93/2 की 0.271हैक्ट भूमि जो गैरसायल न0 1 के नाम सें दर्ज है को बिना विधिक संपरिर्वतन के निर्माण कार्य नही करे । इस सम्बध मे यदि गैरसायल को कोई उज्र व एतराज हो तो इस न्यायालय मे असालतन या वकालतन उपस्थित होकर वजह जाहिर करे अन्यथा क्यो ना यह आदेश ताफैसला दावा कन्फर्म कर दिया जावे । बाद मियाद गुजरने कोई उज्र एवं एतराज नही सुना जावेगा आदेश जारी होकर पत्रावली दिनांक 08.03.2019 को पेश हो। [signature]	
8/3/19	पत्रावली पेश हुई श्रीमान् पी.ओ. साहब मु. h बाद [illegible] गै. सायल सं. 1 के वकील उप. पत्रावली दि. 27.3.19 को पेश हो। [signature]	[illegible] 8/3/19
27.3.19	पत्रावली पेश हुई श्रीमान् पी.ओ. साहब अन्य कार्य में व्यस्त पत्रावली दि. 29.4.19 को पेश हो। [signature]	
29.4.19	पत्रावली पेश हुई श्रीमान् पी.ओ. साहब मु. h बाद [illegible] वकील सायल उप. / गै. सायलान / के वकील उप. जवाब हेतु पत्रावली दि. 17.6.19 को पेश हो। [signature]	

पत्रावली पेश हुई श्री [illegible] अ. [illegible]

[illegible] ...28/8/18 को [illegible]

17/6/2019 — वादी के निवेदन पर पत्रावली पेशी में श्री [illegible] वकील वादी वादी ने निवेदन किया कि हम पक्षकारों का आपस में राजीनामा हो चुका है इसलिये यह प्रार्थना-पत्र नहीं चलाना चाहते प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

वादी के प्रार्थना पत्र नहीं चलाने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है पत्रावली दाखिल दफ्तर हो आदेश खुले इजलास सुनाया गया।

[illegible]

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
कोटड़ा